

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 मई 2009—वैशाख 14, शक 1931

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मई 2009

क्र. एफ. 8-2009-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 3 के उपनियम 3 ख (iii) को निम्नानुसार पढ़ा जावे—

(iii). मूल वेतन तथा महंगाई वेतन पर 20 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता.

2. यह संशोधन दिनांक 1 जनवरी 2006 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रभाकर बंसोड़, सचिव.